न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/139

1. घनश्याम पुत्र स्व0 बंशीलाल आयु 50 वर्ष ।
2. भीमराज पुत्र स0 बंशीलाल आुय 48 वर्ष ।
3. राजेश पुत्र स्व0 बंशीलाल आयु 45 वर्ष ।
4. आनन्दीलाल पुत्र स्व0 बंशीलाल आयु 40 वर्ष ।
5. श्रीमती काली बाई पत्नी स्व0 बंशीलाल आयु 70 वर्ष ।
6. श्रीमती जशोदा बाई पुत्री स्व0 बंशीलाल आयु 53 वर्ष जाति जाट निवासीगण मोतीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रतन लाल पुत्र छीतर लाल जाति जाट निवासी प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. सुरेश चन्द पुत्र छीतर लाल जाति जाट निवासी प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. श्रीमती भंवरी पुत्री छीतर लाल पत्नी धन्ना लाल निवासी हरिजी का निमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. श्रीमती लीला पुत्री छीतरलाल पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी नगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. श्रीमती चन्द्रकान्ता पुत्री छीतर लाल पत्नी हरिनारायण जाति जाट निवासी सुलनिया तहसील सांगोद जिला कोटा ।
6. रामस्वरूप पुत्र रामेश चन्द जाति जाट निवासी प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
7. किशन पुत्र रमेश चन्द्र जाति जाट निवासी प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. राकेश पुत्र रमेश चन्द जाति जाट निवासी प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. निर्मला बाई पुत्री रमेश चन्द पतनी कुन्दन जाति जाट निवासी ग्राम काल्याखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. पप्पू पुत्र रमेश चन्द जाति जाट निवासी ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
11. मोनाबाई पुत्री रमेश चन्द जाति जाट निवासी प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
12. श्रीमती ललता बाई पत्नी रमेश चन्द जाति जाट निवासी ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 12.03.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कुल 15 किता की 11.44 हैक्टर भूमि स्थित है । छीतर लाल के घांसी लाल पुत्र था जिसकी शादी जगन्नाथी बाई के साथ हुई थी । घांसी लाल की मृत्यु के बाद जगन्नाथी बाई नाते चली गई । वादीगण के पिता अपने जीवनकाल में एक न्यायिक विवाद आ जाने से ग्राम प्रहलादपुरा छोडकर ग्राम मोतीपुरा आकर निवास करने लगे इसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने उक्त समस्त भूमि पर कब्जा कर लिया । उक्त आराजी पैतृक भूमि है जिसमें वादीगण का 1/8 हिस्सा है और वादीगण अपने हिस्से की आराजी को प्रापत करने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर वादी को अपने हिस्से पर तन्हा कब्जा दिलाया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2017 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में जगन्नाथी बाई का नाम बतौर सहखातेदार अंकित नहीं है । जगन्नाथी अपने पति की मृत्यु के बाद ही नाते चली गई तथा जगन्नाथी का इस परिवार से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा । इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने जगन्नाथी को आवश्यक पक्षकार मानकर दावा खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय जगन्नाथी को आवश्यक पक्षकार मानते थे तो जगन्नाथी को पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित कर सकते थे । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा विभाजन का प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश किया था जिसमें प्रतिवादीगण के द्वारा जवाबदावा पेश किया गया । तनकीयात कायम होने के उपरान्त साक्ष्य ली जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है

जिसमें दावा वादी खारिज किया गया है । दावा खारिज करने का आधार जगन्नाथी को पक्षकार नहीं बनाया जाना अंकित किया गया है । जगन्नाथी बाई वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार नहीं थी और जगन्नाथी अपने पति की मृत्यु के बाद ही नाते चली गई तथा जगन्नाथी का इस परिवार से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा । जगन्नाथी यदि आवश्यक पक्षकार थी तो पक्षकार बनाने का आदेश पारित कर सकते थे । प्रतिवादी क्रम 3 पार्वती का स्वर्गवास हो चुका है और दिनांक 17.03.2006 को पार्वती का नाम डिलीट करने का आदेश किया जा चुका है इसलिए अपील में पार्वती को बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार नहीं बनाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट के द्वारा विभाजन का दावा पेश किया गया था और परिवार का जो सजरा पेश किया है उसमें घांसी लाऔलाद फौत होना और उनकी पत्नी जगन्नाथी बाई को नाते जाना अंकित किया गया है । पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है इसमें जगन्नाथी बेवा घांसी लाल को भी सहखातेदार अंकित किया गया है ।

9. वादी अपीलान्ट के द्वारा जो पारिवारिक सजरा पेश किया गया है उसके अनुसार जगन्नाथी बाई घांसी लाल की विधवा है और उसके नाते जाने से उसके अधिकार वादग्रस्त आराजी से समाप्त नहीं हो जाते हैं । दावा विभाजन का है जिसमें आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए । विभाजन के दावे में न्यायालय अपने स्तर पर भी समस्त सहखातेदारान को पक्षकार बनाने का आदेश पारित करते हुए निर्णय पारित कर सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने जगन्नाथीबाई को पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर दावा वादी खारिज करने में त्रुटि की है । हम उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जगन्नाथी बाई को बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाकर उसे जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 29.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 12.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/3/19

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा